न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 46/2014

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपालराम सोनी जाति जाट साकिन 59 सी प्रेमनगर श्रीगंगानगर।
2. श्रीमति चन्द्रकला पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन 59 सी प्रेमनगर श्रीगंगानगर।
3. श्री शंकरलाल पुत्र राउराम जाति जाट साकिन 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।
4. श्री औमप्रकाश पुत्र राउराम जाति जाट साकिन 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।
5. श्री हीराराम पुत्र राउराम जाति जाट साकिन 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।
6. श्री कर्णकुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति पेड़ीवाल साकिन रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।
7. श्रीमति प्रदीपा पत्नी श्री गोपालाराम जाति पेड़ीवाल साकिन रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।
8. श्रीमति अनुपमा पत्नि श्री सुरेन्द्र चाण्डक जाति चाडक साकिन 3 ए छोटी श्रीगंगानगर।
9. श्री राघव पुत्र श्री रमेश मालपानी जाति मालपानी साकिन 20 सी ब्लाक श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 20.07.2017

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम चक 3 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 21/.227, 22 ता 24/.759, कुल 0.986 हैक्टर भूमि खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सड़के, आवासीय मकान एवम् प्लाट काटकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है,

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

लगातार 2

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उक्त वर्णित रकबा के सम्बंध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का रामनगर अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे। वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एंव जमाबन्दी की प्रति सलंग्न की है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 9 को विधिवत तामिल होनें के पश्चात भी उपस्थित नहीं आनें के कारण प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 9 के विरूद्ध दिनांक 16.09.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई शेष की तलबी विधिवत नहीं होनें के कारण समाचार पत्र के माध्यम से तलबी करवाये जानें के आदेश प्रदान करनें पर जरिये अखबार तलबी करवाई गई बाद तलबी प्रार्थी असालत/वकालतन उपथित नहीं होनें पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 06.10.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद पत्र में कोई प्रतिवादी नहीं होनें के कारण तनकीयात नहीं बनाई जाकर राज पैराकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली पत्रावली अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 3 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 21/.227, 22 ता 24/. 759, कुल 0.986 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 20.07.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर